न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 64/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एस.एम.एफ.जी. इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड (पूर्व नाम फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेन्स कम्पनी लि.), पंजीकृत कार्यालय – थर्ड फ्लोर, नम्बर 307, मेघ टॉवर, पी.एच. रोड़, मधुरावोयल, चैन्नई (तमिलनाडु) कॉर्पोरेट कार्यालय – 5 व 6, "बी" विंग, सुप्रीम बिजनेस पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवई, मुम्बई–400076, शाखा कार्यालय–केसर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर 115–ए, अपेक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर–302015 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि जावेद अहमद खान

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह**
2. **नन्दू कंवर पत्नि सुरेन्द्र सिंह**

प्रथम पता–वार्ड नं. 2, तहसील फतेहपुर, आचार्यों का मौहल्ला, जिला–सीकर–332301
द्वितीय पता–आवासीय सम्पत्ति प्लाट (पार्ट ऑफ पट्टा नम्बर 389) स्थित वार्ड नं. 2 फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर, कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज हिस्सा खसरा नम्बर 957/2, ग्राम फतेहपुर, शेखावाटी, जिला सीकर–332301

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः– 18 नवम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह** एवं **नन्दू कंवर पत्नि सुरेन्द्र सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुरेन्द्र सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पति

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

प्लाट (पार्ट ऑफ प्लाट नम्बर 389, वार्ड नं. 2, फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर (राज.), कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 957/2, ग्राम फतेहपुर, शेखावाटी, जिला सीकर–332301 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में मकान पुरूषोत्तम, पश्चिम दिशा में रोड, उत्तर दिशा में मकान ऑफ पुष्पा कंवर एवं दक्षिण दिशा में मकान शेर बहादुर स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 49,22,910/– रूपये (अक्षरे रूपये उनचास लाख बाइस हजार नौ सौ दस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.**03.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.03.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह** एवं **नन्दू कंवर पत्नि सुरेन्द्र सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुरेन्द्र सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **प्लाट (पार्ट ऑफ**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्लाट नम्बर 389, वार्ड नं. 2, फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर (राज.), कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 957/2, ग्राम फतेहपुर, शेखावाटी, जिला सीकर–332301 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में मकान पुरुषोत्तम, पश्चिम दिशा में रोड, उत्तर दिशा में मकान ऑफ पुष्पा कंवर एवं दक्षिण दिशा में मकान शेर बहादुर स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक ***18* नवम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर